तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज मुकदमा 337/17 रत्नाराम/भास्कराम
19-12-17	वकील [illegible] द्वारा पूर्व आदेश 149-17 आगामी तिथि तक बहाल [illegible] के अभियोजन के गवाह तलबाना पेश होने हेतु अगली तिथि 6-2-18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.)
6-2-18	वकील [illegible] द्वारा पूर्व आदेश 149-17 आगामी तिथि तक बहाल [illegible] के अभियोजन के गवाह तलबाना पेश होने हेतु अगली तिथि 24-4-18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.)
24-4-18	वकील [illegible] द्वारा पूर्व आदेश 149-17 आगामी तिथि तक बहाल [illegible] के अभियोजन के गवाह तलबाना पेश होने हेतु अगली तिथि 6-6-18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.)
6/6/18	पत्रावली आज न्याय आपके द्वारा शिविर ..... में पेश [illegible] द्वारा वकीलनामा पेश नहीं किया [illegible] 11-9-18 पेश हो उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (प्रभारी अधिकारी प.स. मेड़ता)
06/07/18	प्रार्थी के [illegible] पर [illegible] आज पेश हुई। प्रार्थिका रत्नाराम [illegible] के आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना जोगी विरुद्ध खारिज किया जाता है। विपक्ष फरार होकर [illegible] स्थगित। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट Chandaj (राज.) उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner